9. The Union Duties of Excise (Electricity) Distribution Repeal Bill, 2006;

10. The Food Safety and Standards Bill, 2005; and

11. The Small and Medium Enterprises Development Bill, 2005.

GOVERNMENT BILLS

The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2003

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI HANSRAJ BHARDWAJ): Sir, I beg to move for leave to withdraw the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2003.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Sir, I withdraw the Bill.

THE CINEMATOGRAPH (AMENDMENT) BILL, 1992

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI): Sir, I beg to move for leave to withdraw the Cinematograph (Amendment) Bill, 1994.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI: Sir, I withdraw the Bill.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, the House should agree to congratulate the people of West Bengal. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no ...*(Interruptions)*... The Chairman has not given the permission for this ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: This has helped the entire election process in West Bengal ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no *...(Interruptions)...* Please *...(Interruptions)...* We will now take up the Discussion on the Working of the Ministries of Panchayati Raj and Rural Development.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRIES OF PANCHAYATI RAJ AND RURAL DEVELOPMENT *-Contd.*

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : परम आदरणीय उपसभापति महोदय, मुझे यह श्रेय मिला है कि आपने दोबारा आसीन होने पर मुझे ही सबसे पहले बुलाया है। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि हमारे नए मंत्रालय के स्थापित होने के दो साल पश्चात् आज इस पंचायती राज विषय पर विस्तार से चर्चा करने का और उसका जवाब देने का हमें मौका दिया गया है। यह कह कर मैं श्री मंगनी लाल मंडल जी को अपना खास आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस चर्चा को शुरू किया, इसका नतीजा यह रहा कि उनके पश्चात् जो 20 माननीय सदस्यों ने यहाँ भाषण दिए, वे इतने रचनात्मक रहे और विषय से इतने जुड़े हुए रहे कि हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें ऐसा मौका भी मिला कि इस मुश्किल विषय पर, जिस पर पूरे सदन को, हमारे संसद को ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मौका हमें पेश किया गया।

बहुत से माननीय सदस्यों ने मेरे बारे में और इस विषय से जो मेरी लगन है, उसकी प्रशंसा की। मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस विषय पर वे भी इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। मान्यवर, हमने यह भी देखा कि जब इस सदन में इस विषय पर चर्चा हुई, तो देश के कोने-कोने से जो माननीय सदस्यगण यहाँ हैं, उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। उत्तर भारत से हमने बिहार की आवाज सुनी, उत्तर प्रदेश की आवाज सुनी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की आवाज सुनी। दक्षिण भारत से भी हमने पांडिचेरी की आवाज सुनी, तमिलनाडु की आवाज सुनी, कर्नाटक की आवाज सुनी और आन्ध्र प्रदेश के अनेक माननीय सदस्यों ने भाग लिया। पश्चिम भारतवर्ष से राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया और पूर्व और पूर्वोत्तर भारत से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम एवं त्रिपुरा के माननीय सदस्यगण ने इसमें भाग लिया। यह पहली मर्तबा था कि देश भर का इस अहम विषय के बारे में जो ख्यालात है, वह हमारे सामने पेश हुए। पंचायती राज मंत्री होने के नाते मुझे अत्यन्त खुशी है कि सभी ने, बिना एक छोड़े, सभी ने पंचायती राज का समर्थन किया। और यदि कोई टिप्पणी रही तो वह यही थी कि हम अब तक मुकम्मल तौर पर पंचायती राज को साकार करने में कामयाब नहीं रहे। मैं इसे बहुत अहम समझता हूं।

माननीय सदस्य श्री मंगनी लाल मंडल जी ने इस चर्चा को शुरू करते हुए ही हमें याद दिलाया कि पंचायती राज तो महात्मा गांधी जी की सोच से जुड़ा हुआ है। उन्होंने हमारा ध्यान उस इंटरव्यु पर आकर्षित किया जो कि गांधी जी ने दशकों पहले श्री लुई फिशर को दिया था जिस में उन्होंने बताया कि आजाद हिंदुस्तान को हमें अपने गांवों के आधार पर बनाने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने गांवों की तरफ नहीं देखते तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि असलियत में हम ने आजादी हासिल की है। गांधी जी का तो यहां तक कहना था कि पूर्ण